

No. A-35014/01/2020-CHS-V  
Government of India  
Ministry of Health & Family Welfare  
(CHS Division)

Nirman Bhawan, New Delhi 110 011  
Dated, the 10<sup>th</sup> October, 2020

To,

- i. All Ministries of the Government of India (including Ministry of Railways and Defence)
- ii. All State Governments/Administration of Union Territories.
- iii. All Statutory Bodies/Autonomous Bodies/Semi Government Organizations/Universities/Recognized Research Institutions under the Central Government/State Government/Government of Nation Capital Territory of Delhi.

Subject: - Filling up of various posts in Central Health Service on deputation/Short Term Contract basis- regarding.

Sir/Madam,

The Ministry of Health & Family Welfare has decided to appoint officers in various sub-cadres of Central Health Service namely General Duty Medical Officers (GDMO), Teaching, Non-Teaching and Public Health on deputation basis from amongst the officers holding analogous posts under Central Government (including Ministries of Railways and Defence) or State Governments or Union Territories and by Short Term Contract from suitable officers holding analogous posts under the statutory bodies, autonomous bodies, semi-government organization, Universities or recognized Research institutions under Central/State Governments.

2. Officers holding analogous posts on regular basis, having requisite qualification and experience and having completed their period of probation in the parent organization can apply for appointment on deputation to CHS indicating the name of the post and sub cadre, through proper channel. All the officers who are presently working on ad-hoc deputation basis in Central Health Service (CHS) may also apply. The details of post, Pay Matrix of posts, qualification and experience required for the posts in the respective Sub-cadre of CHS are indicated in the respective annexure as below:

S. No.	Sub-Cadre of CHS	Annexure
1	GDMO Sub Cadre	Annexure - I
2.	Teaching Specialist Sub-cadre	Annexure - II
3.	Non-Teaching Specialist Sub-cadre	Annexure - III
4.	Public Health Sub-cadre	Annexure - IV

The details of posts, Pay Matrix of posts, qualification etc. may also be seen in the Ministry's website - <https://www.mohfw.gov.in>.

[Note: Those who have submitted their application through proper channel with reference to this Ministry's Vacancy Circular of even number dated 22nd June, 2020, their application will be considered for this vacancy circular. Therefore, they are not required to submit the application again.]

3. The appointment on deputation basis will be made only on availability of vacancies. The officers selected will have All India Transfer Liability and will be posted at a place where vacancies exist at the time of their selection.

4. The officers selected for appointment on deputation to CHS may elect to draw either the Pay in the Level prescribed in the Pay Matrix of deputation post or his/her basic pay in the parent cadre plus Deputation (duty) Allowance thereon plus personal pay, if any. The period of deputation will be governed by CHS Rules, 2014 as amended from time to time. However, the Ministry can end the term of deputation unilaterally if the regular recruitment takes place or if the policy gets changed due to any reason(s). The terms of deputation will be governed by standard terms of deputation as prescribed by the Government of India from time to time.

5. Application in the prescribed proforma (**Annexure V**) may be forwarded to **The Under Secretary (CHS-V), Room No. 752, A-Wing, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi 110 011** within forty-five days of the date of publication of the INDICATIVE ADVERTISEMENT IN THE EMPLOYMENT NEWS. All applications should reach this Ministry through proper channel. **Advance copy of the application will not be entertained.**

6. While forwarding the application, the following documents may also be sent to this Ministry along with the application in the prescribed proforma: -

- i. A certificate to the effect that State Government/Union Territory or the Parent Department/Organization has "**NO OBJECTION**" to the appointment of the officer concerned under CHS on deputation.
- ii. Attested copies of the ACRs/APARs of the applicant of last five years.
- iii. A Certificate about the Integrity of the officer recommended for appointment on deputation under CHS.
- iv. Vigilance Clearance in respect of applicant duly signed by an officer of the appropriate status.
- v. Certificate of major/minor penalty imposed, if any, on the officer during the last ten years/entire service period, whichever is less.

Incomplete application(s) or applications received without above-mentioned documents are liable to be summarily rejected.

7. Eligible officers, whose spouse are working in Central Government or State Government or Union Territories and have been transferred or are working at a place where CHS posts exists, can also apply for deputation.

Encl: As Above.

Yours faithfully,

*Sarita Nair*

(Sarita Nair)

Under Secretary to the Govt. of India  
Tel # 2306 3068

Copy to:-

1. The Senior Director (Tech), NIC, Ministry of Health & Family Welfare (It is requested to host the vacancy circular on the website of this Ministry under CHS.
2. All the Ministries as per the standard is attached.

**General Duty Medical Officer (GDMO)****Name and Pay Matrix of the posts.**

- i. Medical Officer (MO) Level 10 of Pay Matrix Rs. 56100-177500/-  
 ii. Senior Medical Officer (SMO) Level 11 of Pay Matrix Rs. 67700-208700/-  
 iii. Chief Medical Officer (CMO) Level 12 of Pay Matrix Rs. 78880-209200/-  
 iv. Chief Medical Officer (NFSG) Level 13 of Pay Matrix Rs. 123100-215900/-

**Qualification and Experience**

The necessary qualification and experience for various posts in GDMO sub-cadre is as per schedule V and Schedule VI of CHS (Amendment) Rules, 2019. **(Appendix-A)**. Details of posts proposed to be filled

S. No.	Name of the Post	Speciality & Station	No. of Posts
1.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Delhi	09
2.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Shillong	01
3.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Allahabad	02
4.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Dehradun	01
5.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Guwahati	02
6.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Jabalpur	02
7.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Kolkata	01
8.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Kanpur	02
9.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Lucknow	02
10.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Mumbai	02
11.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Raipur	01
12.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CGHS, Gauripur	02
13.	Medical Officer	CGHS, Srinagar	02
14.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	RLTRI, Raipur	01
15.	MO/SMO/CMO/CMO (NFSG)	CTI, Chennai	01
<b>TOTAL</b>			<b>31</b>

\*\*\*\*\*

**Teaching Specialist Sub-cadre:-**

Name and Pay Matrix of Posts:

- |      |                     |     |   |
|------|---------------------|-----|---|
| i.   | Assistant Professor | --  | Level 11 of Pay Matrix Rs. 67700-208700/-   |
| ii.  | Associate Professor | --- | Level 12 of Pay Matrix Rs. 78800-209200/-   |
| iii. | Professor           | --- | Level 13 of Pay Matrix Rs. 123100 -215900/- |

**Qualification and Experience**

The necessary qualification and experience for various posts in Teaching sub-cadre is as per schedule V and Schedule VI of CHS (Amendment) Rules, 2019. **(Appendix-A)**. Details of posts proposed to be filled

Sl. No.	Name of the Post	Speciality and Station	No. of Posts
i.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Psychiatry, CIP, Ranchi	01
ii.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Anaesthesiology, CIP, Ranchi	01
iii.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Neurology, CIP, Ranchi	01
iv.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Radio-diagnosis, CIP, Ranchi	01
v.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Pathology, CIP, Ranchi	01
vi.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Neuro-surgery, CIP, Ranchi	01
vii.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	PMR, AIIPM&R, Mumbai	01
viii.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Anaesthesiology, Delhi	02
ix.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Clinical Haematology, Delhi	01
x.	Asstt. Prof./Associate Prof. /Professor	Neurology, Delhi	01
	Total		11

\*\*\*\*\*

**Non Teaching Specialist Sub-cadre**

Name and Pay Matrix of the posts:

- |      |                   |   |  |
|------|-------------------|---|--|
| i.   | Specialist Gr.III | - | Level 11 of Pay Matrix Rs. 67700-208700/-  |
| ii.  | Specialist Gr. II | - | Level 12 of Pay Matrix Rs. 78800-209200/-  |
| iii. | Specialist Gr. I  | - | Level 13 of Pay Matrix Rs. 123100-215900/- |

**Qualification and Experience**

The necessary qualification and experience for various posts in Non-Teaching sub-cadre is as per schedule V and Schedule VI of CHS (Amendment) Rules, 2019. **(Appendix-A)**. Details of posts proposed to be filled.

S. No	Name of the Posts	Speciality and Place of posting	No. of posts
i.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Paediatrics, A&N Islands	01
ii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Ophthalmology, A&N Islands	01
iii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	ENT, A&N Islands	01
iv.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Anaesthesia, A&N Islands	02
v.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Medicine, A&N Islands	02
vi.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Pathology, A&N Islands	01
vii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Radio-diagnosis, A&N Islands	01
viii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Paediatrics, Lakshadweep Islands	01
ix.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Anaesthesia, Lakshadweep Islands	01
x.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Pathology, Lakshadweep Islands	01
xi.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Ophthalmology, Lakshadweep Islands	01
xii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Microbiology, CRI, Kasuali	02
xiii.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Obst & Gynae, CGHS, Hyderabad	01
xiv.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Medicine, CGHS Delhi	02
xv.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	ENT, CGHS Delhi	01
xvi.	Specialist Gr.III/Gr. II/Gr. I	Pathology, CGHS Delhi	01
Total			20

\*\*\*

**Public Health Sub-cadre**

Name and Pay Matrix of the posts:

- i. Specialist Gr.III - Level 11 of Pay Matrix Rs. 67700-208700/-
- ii. Specialist Gr. II - Level 12 of Pay Matrix Rs. 78800-209200/-
- iii. Specialist Gr. I - Level 13 of Pay Matrix Rs. 123100-215900/-

**Qualification and Experience**

The necessary qualification and experience for various posts in Non-Teaching sub-cadre is as per schedule V and Schedule VI of CHS (Amendment) Rules, 2019. **(Appendix- A)**. Details of posts proposed to be filled.

S. No	Name of the Post	Speciality and Station	No. of Post
1.	Specialist Gr. III/II/I	Public Health, AIHH&PH, Kolkata	01
2.	Specialist Gr.III/II/I	Public Health, Lakshadweep	01
3.	Specialist Gr.III/II/I	Public Health, Varanasi	01
4.	Specialist Gr.III/II/I	PHO, Kolkata	01
<b>TOTAL</b>			<b>04</b>

\*\*\*\*

(xxiii) For Schedule-V and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

**Schedule-V**

(see rule 6(8))

Sl. No	Name of the Post	Age	Educational and other Qualification required
1	<b>I. Teaching Specialist Sub-Cadre Posts</b>  (1) Specialist Grade-III Assistant Professor (Super Specialties) {Level-11 (Rs.67700-208700)}	Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI from recognized Teaching Institute.</p> <p>(iii) Three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Speciality or Super-speciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p><b>Note-1. Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of teaching experience.</b></p> <p><b>Note. 2: Doctorate of Medicine(D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</b></p> <p><b>Note 3.-</b> For recruitment to the post of Assistant Professors (Immuno-haematology and Blood Transfusion), D.M (Immunology) or M.D (Immuno-Haematology &amp; Blood Transfusion or M.D (Pathology/ Bacteriology/Haematology) with at least three years' experience in a recognised teaching hospital in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Banks) or in Pathology/Bacteriology/ Haematology with two years' experience or special training in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Bank) as a Lecturer or Tutor or Senior Resident or Demonstrator after the Post Graduate Qualification in the speciality.</p> <p><b>Note 4. —</b>Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching post.</p>

<p>(2) Specialist Grade-III Assistant Professor (other than Super Specialities) {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI from recognized Teaching Institute.</p> <p>(iii) At least three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Speciality or Super-speciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p><b>Note-1.</b> Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of teaching experience in the concerned broad speciality.</p> <p><b>Note. 2:</b> Doctorate of Medicine(D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p> <p><b>Note 3.-</b> For recruitment to the post of Assistant Professors (Immuno-haematology and Blood Transfusion), D.M (Immunology) or M.D (Immuno-Haematology &amp; Blood Transfusion) or M.D (Pathology or Bacteriology or Haematology) with at least three years' experience in a recognised teaching hospital in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Banks) or in Pathology/Bacteriology/ Haematology with two years' experience or special training in Immuno-haematology and Blood Transfusion (Blood Bank) as a Lecturer or Tutor or Senior Resident or Demonstrator after the Post Graduate Qualification in the speciality.</p> <p><b>Note 4.-</b>For recruitment to the post of Assistant Professor in Orthopaedics at the Sports Injury Centre at Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi, minimum two years' experience in the field of Sports Injury or Sports Medicine will be a desirable Qualification.</p> <p><b>Note 5.</b> For appointment in the speciality of Tuberculosis and Respiratory Medicine/ Pulmonary Medicine Doctorate of Medicine (Pulmonary Medicine) will be desirable qualification.</p> <p><b>Note 6.-</b>Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p>
--	---	---



<p>(3) Specialist Grade-III Assistant Professor (Non-Clinical including Non- Medical) {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government)</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) As indicated in Part-A, Section-A in Schedule-VI.</p> <p>(ii) At least three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Speciality or Super-speciality in a recognized teaching institution after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p><b>Note. 1: Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of teaching experience in the connected broad speciality.</b></p> <p>Note 2.- Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p> <p><b>Note 3.-</b> Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer or Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p>
<p><b>II. Non Teaching Specialist Sub-cadre posts</b></p> <p>(1) Specialist Grade III ((Super Specialities) {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not exceeding forty years relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government.</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI from recognized Teaching Institute.</p> <p>(102iii) Three years' experience in the concerned speciality or super speciality after obtaining the first Post-graduate degree.</p> <p><b>Note-1.</b> Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of experience.</p> <p><b>Note. 2:</b> Doctorate of Medicine(D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of experience.</p>

<p>(2) Specialist Grade-III (other than Super Specialities) {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not Exceeding forty years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956),</p> <p>(ii). Post-graduate Degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI.</p> <p>(iii). Three years' experience in the concerned Speciality or super-speciality after obtaining the first Post-graduate degree or 5 years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma.</p> <p>Note-1. Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of experience in the concerned broad speciality.</p> <p>Note. 2: Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p> <p>Note. 3: For the post of Physician (Chest and Respiratory disease) three years' experience in Respiratory Disease and Respiratory Laboratories is required.</p>
<p>(3) Specialist Grade-III (Non-Clinical including Non-Medical) {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not Exceeding forty years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) As indicated in Part-A, Section-A in Schedule-VI.</p> <p>(ii). Three years' experience in the concerned Speciality or super-speciality after obtaining the first Post-graduate degree or 5 years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma.</p> <p>Note-1. Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) qualification of three years' duration shall be counted towards requirement of experience in the concerned broad speciality.</p> <p>Note. 2: Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) of five years' duration shall be taken as three years for completion of post graduate degree and the last two years of the said Doctorate of Medicine (D.M.) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) shall be counted towards requirement of teaching experience.</p>

<p><b>III. Public Health Sub Cadre Posts</b></p> <p>Specialist Grade-III {Level-11 (Rs.67700-208700)}</p>	<p>Not exceeding forty years relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Post-graduate Degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) Three years' experience in the concerned Speciality after obtaining the Post-graduate degree or 5 years' experience in the Speciality after obtaining the Post-graduate Diploma.</p>
<p><b>IV. General Duty Sub-Cadre Posts</b></p> <p><b>Medical Officer</b> {Level 10 of Pay Matrix (Rs.56100-177500)}</p>	<p>Not exceeding thirty-five years relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the orders or instructions issued by the Government</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>(ii) Completion of compulsory rotating internship candidates who may not have completing rotating internship shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory <b>internship</b> before appointment.</p>

Note: Recognized Teaching Institutions means Medical College/ Institutions permitted/ recognized to run MBBS and / or P.G. Courses.

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).

Note 2: The Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 4: In the case of recruitment to the post of Medical Officer on the basis of a written examination followed by interview, the crucial date for reckoning the age limit shall be the 1<sup>st</sup> of January of the year in which the examination is held.

(xxiv) For Schedule-VI and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

**SCHEDULE-VI**

[See rule 6 (9) and 6(10)]

		Section-A	Section-B
S. No.	Subject	Requisite Post Graduate Degree Qualifications	Requisite Post Graduate Diploma Qualifications
	<b>Part (A) NON-CLINICAL including NON-MEDICAL</b>		
1.	Anatomy	Master of Surgery (Anatomy); or Doctor of Medicine (Anatomy); or Diplomate National Board (Anatomy); Or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Anatomy); or Master of Science (Medical Anatomy) with Doctor of Philosophy (Medical Anatomy); or Master of Science (Medical Anatomy) with Doctor of Science (Medical Anatomy).	
2.	Physiology	Doctor of Medicine (Physiology); or Diplomate National Board (Physiology); or M.B.B.S. with M.Sc. (Physiology); or Master of Science (Medical Physiology) with Doctor of Philosophy (Medical Physiology); or Master of Science (Medical Physiology) with Doctor of Science (Medical Physiology).	
3.	Bio-Chemistry	Doctor of Medicine (Bio-Chemistry); or Diplomate National Board (Bio-Chemistry); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Medical Bio-Chemistry); or Master of Science (Medical Bio-Chemistry) with Doctor of Philosophy (Medical Bio-Chemistry); or Master of Science (Medical Bio-Chemistry) with Doctor of Science (Medical Bio-Chemistry).	
4.	Bio-Physics	Doctor of Medicine (Bio-Physics); or Diplomate National Board (Bio- Physics) ; or M.Sc. (Bio-Physics or Medical Biochemistry) with Doctor of Philosophy (Bio- Physics); or Doctor of Medicine (Physiology) or Doctor of Medicine (Bio-Chemistry) with one-year training in Bio-Physics.	
5.	Pharmacology	Doctor of Medicine (Pharmacology); or Diplomate National Board (Pharmacology); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Doctor of Philosophy (Medical Pharmacology); or Master of Science (Medical Pharmacology) with Doctor of Philosophy (Medical Pharmacology); or	

		Master of Science (Medical Pharmacology) with Doctor of Science (Pharmacology).	
6.	Pathology	Doctor of Medicine (Pathology); or Diplomate National Board (Pathology); or Doctor of Philosophy (Pathology); or Doctor of Science (Pathology).	Diploma in Clinical Pathology; or Diploma in Pathology and Bacteriology.
7.	Microbiology or Bacteriology	Doctor of Medicine (Bacteriology); or Diplomate National Board (Bacteriology); or Doctor of Medicine (Microbiology); or Diplomate National Board (Microbiology); or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Master of Science (Medical Bacteriology); or Master of Science (Medical Microbiology) with Doctor of Philosophy (Med. Bacteriology); or Master of Science (Medical Bacteriology) with Doctor of Philosophy (Medical Bacteriology); or Master of Science (Medical Bacteriology) with Doctor of Science (Medical Bacteriology); Master of Science (Medical Microbiology) with Doctor of Philosophy (Medical Microbiology); or Master of Science (Medical Microbiology) with Doctor of Science (Medical Microbiology).	Diploma in Bacteriology; or Diploma in Pathology and Bacteriology
8.	Radiological Physics	Master of Science (Physics/Chemistry/Bio-Physics) with Doctor of Philosophy (Physics/Chemistry/Bio-Physics); or Diplomate National Board (Radiological Physics)	
	<b>Part (A1) NON-CLINICAL</b>		
9.	Forensic Medicine	Doctor of Medicine (Forensic Medicine); or Diplomate National Board (Forensic Medicine)	Diploma in Forensic Medicine
	<b>B. CLINICAL</b>		
10.	General Medicine	Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (General Medicine); or Diplomate National Board (Medicine/General Medicine)	
11.	Paediatrics	Doctor of Medicine (Paediatrics); or Diplomate National Board (Paediatrics)	Diploma in Paediatrics; or Diploma in Child Health.
12.	Tuberculosis and Respiratory Medicine/ Pulmonary Medicine	Doctor of Medicine (Tuberculosis); or Doctor of Medicine (Tuberculosis and Respiratory Diseases); or Diplomate National Board (Tuberculosis)/ (Tuberculosis and Respiratory Diseases); or Doctor of Medicine (Medicine) with Diploma in or	Diploma in Tuberculosis Diseases; or Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases

		Diplomate National Board (Medicine) *; or  Doctor of Medicine (Tuberculosis and Chest Diseases); or Diplomate National Board (Tuberculosis and Chest Disease) .	Tuberculosis Diseases or Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases.	
13.	Psychiatry	Doctor of Medicine (Psychiatry); or Doctor of Medicine (Psychological Medicine); or Diplomate National Board (Psychiatry/Psychological Medicine); or Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine) with Diploma in Psychological Medicine.		Diploma in Psychological Medicine or Diploma in Psychiatry
14.	Dermatology, Venereology and Leprosy	Doctor of Medicine (Dermatology and Venereology); or Doctor of Medicine (Dermatology, Venereology and Leprosy); or Doctor of Medicine (Dermatology); or Doctor of Medicine (Dermatology including Venereology); or  Doctor of Medicine (Dermatology including Venereology or Leprosy); or Diplomate National Board (Dermatology and Venereology/ Dermatology, Venereology and Leprosy/Dermatology/Dermatology including Venereology/Dermatology including Venereology or Leprosy); or  Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine).	with Diploma in Venereology and Dermatology or Diploma in Dermatology.	Diploma in Venereology and Dermatology or Diploma in Dermatology and Venereology.
15.	General Surgery	Master of Surgery (Surgery); or Master of Surgery (General Surgery); or Diplomate National Board (Surgery/General Surgery)		
16.	Orthopaedics	Master of Surgery (Orthopaedics); or Diplomate National Board (Orthopaedics)		Diploma in Orthopaedics

17.	Obstetrics and Gynaecology	Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology); or Master of Surgery (Obstetrics and Gynaecology); or Diplomate National Board (Obstetrics and Gynaecology)	Diploma in Gynaecology and Obstetrics
18.	Physical Medicine and Rehabilitation	Doctor of Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); or Diplomate of National Board (Physical Medicine and Rehabilitation); or Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine); or Master of Surgery (General Surgery)/Master of Surgery (Orthopaedics) or Diplomate National Board (General Surgery/Orthopaedics)	Diploma in Physical Medicine and Rehabilitation. with Diploma in Physical Medicine and Rehabilitation with two years' special training in the Speciality of Physical Medicine and Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two Years of equivalent training approved in the subject in any approved institution in India.
19.	Ophthalmology	Master of Surgery (Ophthalmology); or Doctor of Medicine (Ophthalmology); or Diplomate of National Board (Ophthalmology)	Diploma in Ophthalmology; or Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery
20.	Oto-Rhino-Laryngology (Ear, Nose and Throat)	Master of Surgery (Oto-Rhino-Laryngology); or Diplomate of National Board (Oto-Rhino-Laryngology).	Diploma in Oto-Rhino-Laryngology
21.	Radio-diagnosis	Doctor of Medicine (Radio-diagnosis); or Doctor of Medicine (Radiology); or Master of Surgery (Radiology); or Diplomate National Board (Radio-diagnosis/Radiology) .	Diploma in Medical Radio Diagnosis (DMRD) or equivalent diploma.
22.	Radio- Therapy	Doctor of Medicine (Radio-Therapy); or Doctor of Medicine (Radiology); or Master of Surgery (Radiology); or Diplomate National Board (Radio-therapy/Radiology).	Diploma in Medical Radio Therapy (DMRT) or equivalent diploma.
23.	Anaesthesiology	Doctor of Medicine (Anaesthesiology); or Master of Surgery (Anaesthesiology); or Diplomate National Board (Anaesthesiology).	Diploma in Anaesthesiology

24.	Nuclear Medicine	<p>Doctor of Medicine (Nuclear Medicine); or Diplomate National Board (Nuclear Medicine) ; or</p> <p>Doctor of Medicine (Radio-Therapy) or Diplomate National Board (Radio-Therapy); or</p> <p>Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine); or</p> <p>Doctor of Medicine (Radio-Diagnosis) or Diplomate National Board (Radio-diagnosis) ; or</p> <p>Doctor of Medicine (Bio-Physics) or its equivalent qualification in Bio-Physics with Diploma in Radiation Medicine or Diploma in Nuclear Medicine.</p>	with two years' experience in Nuclear Medicine in a recognized centre	with Diploma in Radiation Medicine or Diploma in Nuclear Medicine	with two years' experience in Nuclear Medicine in a recognized centre
25.	Nutrition	<p>Doctor of Medicine in Biochemistry or Doctor of Medicine in Physiology or Doctor of Medicine in Pathology or Doctor of Medicine in Medicine or Doctor of Medicine in Social and Preventive Medicine or Doctor of Medicine in Community Medicine or Doctor of Medicine in Paediatrics or Diplomate National Board (Biochemistry/ Physiology / Pathology/Medicine/Social and preventive Medicine/Community Medicine/Paediatrics)</p>	with Master of Science in applied Nutrition or Special training for a period of one year.		
26.	Human Metabolism	<p>Doctor of Medicine (Endocrinology); or Diplomate National Board (Endocrinology); or Doctor of Medicine (Medicine) or Doctor of Medicine (Paediatrics) or Diplomate National Board (Medicine/Paediatrics).</p>	with two years special training Endocrinology.		



27.	Immuno-Haematology and Blood Transfusion	<p>Doctorate of Medicine (Immunology); or          Doctor of Medicine (Immuno-Haematology and Blood Transfusion); or          Diplomate National Board (Immunology/ Immuno-Haematology and Blood Transfusion) ; or</p> <p>Doctor of Medicine in Pathology/          Doctor of Medicine in Bacteriology/          Doctor of Medicine in Haematology or          Diplomate National Board (Pathology/Bacteriology/ Haematology)</p>	<p>with two years teaching experience or special training in the department of immuno-Haematology and Blood Transfusion.</p>
28.	Family Medicine	<p>Doctor of Medicine (Family Medicine); or          Doctor of Medicine (General Medicine); or Diplomate National Board (Family Medicine/General Medicine)</p>	
29.	Aviation Medicine or Aerospace Medicine	<p>Doctor of Medicine (Aviation Medicine); or          Doctor of Medicine (Aerospace Medicine); or          Diplomate National Board (Aviation Medicine/Aerospace Medicine)</p>	
30.	Geriatrics	<p>Doctor of Medicine (Family Medicine); or          Doctor of Medicine (General Medicine); or          Doctor of Medicine (Geriatrics); or Diplomate National Board (Family Medicine/General Medicine/Geriatrics)</p>	
31.	Health Administration	<p>Doctor of Medicine (Health Administration); or          Doctor of Medicine (Hospital Administration); or          Doctor of Medicine (Community Health Administration); or <b>Diplomate National Board (Health Administration/Hospital Administration/Community Health Administration).</b></p>	
32.	Hospital Administration	<p>Doctor of Medicine (Hospital Administration); or          Doctor of Medicine (Community Health Administration); or          Doctor of Medicine (Health Administration); or          Diplomate National Board (Health Administration/Hospital Administration/Community Health Administration).</p>	
33.	Sports Medicine	<p>Doctor of Medicine (Sports Medicine); or          Master of Surgery (Orthopaedics); or          Doctor of Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); or          Diplomate National Board (Sports Medicine/Orthopaedics/PMR) ; or</p>	

		Doctor of Medicine (Physiology) or Diplomate National Board (Physiology)	with two years' experience in Sports Medicine	
34.	Tropical Medicine	Doctor of Medicine (Tropical Medicine); or Doctor of Medicine (General Medicine); or Diplomate National Board (Tropical Medicine/General Medicine); or Doctor of Medicine (Microbiology) or Diplomate National Board (Microbiology)	plus, two years' experience in clinical medicine.	
35.	Rheumatology	Doctor of Medicine (Rheumatology) : or Diplomate National Board (Rheumatology); or  Doctor of Medicine (Medicine); or or Diplomate National Board (Medicine)	with two years' experience in Rheumatology or Immunology	
36.	Health Education	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Doctor of Medicine (Health Administration); or Doctor of Medicine (Community Health Administration); or Diplomate National Board (Social and Preventive Medicine/Community Medicine/Health Administration/ Community Health Administration).		
37.	Marine Medicine	Doctor of Medicine (Physiology); or Diplomate National Board (Physiology); or Doctor of Medicine in Medicine; or Diplomate National Board (Medicine).	with two years' special training in Marine Medicine	
38.	Occupational Health	Doctor of Medicine (Psychiatry); or Doctor of Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); or Master of Surgery (Orthopaedics); or Diplomate National Board (Psychiatry/Physical Medicine and Rehabilitation/Orthopaedics).		
39.	Virology	Doctor of Medicine (Microbiology); or Doctor of Medicine (Pathology); or Diplomate National Board (Microbiology/Pathology); or Doctor of Medicine (Medicine) or Diplomate National Board (Medicine)	with two years' special training in Virology.	

		or Master of Science (Medical Virology) with Doctor of Philosophy in Virology.	
--	--	--	--

**SUPER SPECIALITIES**

40.	Medical Gastroenterology	Doctorate of Medicine (Medical Gastroenterology); or Doctorate of Medicine (Gastroenterology); or Diplomate National Board (Medical Gastroenterology/Gastroenterology) ; or Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or Diplomate National Board (Medicine/Paediatrics)	with two years special training in Gastroenterology.
41.	Neurology	Doctorate of Medicine (Neurology); or Diplomate National Board (Neurology)	
42.	Endocrinology	Doctorate of Medicine (Endocrinology); or Diplomate National Board (Endocrinology); or Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (Paediatrics); or Diplomate National Board (Medicine/Paediatrics)	with two years' special training in Endocrinology.
43.	Cardiology	Doctorate of Medicine (Cardiology); or Diplomate National Board (Cardiology)	
44.	Nephrology	Doctorate of Medicine (Nephrology); or Diplomate National Board(Nephrology)	
45.	Plastic and Reconstructive Surgery	Magister Chirurgie (Plastic Surgery); or Magister Chirurgie (Plastic and Constructive Surgery); or Diplomate National Board (Plastic Surgery/Plastic and Reconstructive Surgery)	
46.	Cardio Vascular and Thoracic Surgery	Magister Chirurgie (Cardio Vascular and Thoracic Surgery); or Magister Chirurgie (Thoracic Surgery); or Magister Chirurgie (Cardiac Surgery); or Magister Chirurgie (Vascular Surgery); or Diplomate National Board (Cardio Vascular and Thoracic Surgery/ Thoracic Surgery/Cardiac Surgery/Vascular Surgery)	
47.	Neuro Surgery	Magister Chirurgie (Neuro Surgery); or Diplomate National Board (Neuro Surgery)	
48.	Paediatric Surgery	Magister Chirurgie (Paediatric Surgery); or	

		Diplomate of National Board (Paediatric Surgery).						
49.	Urology	Magister Chirurgie (Urology); or Diplomate of National Board (Urology).						
50.	Neonatology	Doctorate of Medicine (Neonatology); or Diplomate National Board (Neonatology); or  Doctor of Medicine (Paediatrics); or Diplomate National Board (Paediatrics)	with two years' special training in Neonatology					
51.	Clinical Haematology	Doctorate of Medicine (Clinical Haematology); or Diplomate National Board (Clinical Haematology); or  <table border="1" data-bbox="470 737 1093 1099"> <tr> <td>Doctor of Medicine (Medicine); or</td> <td rowspan="4">with two years' special training in Clinical Hematology.</td> </tr> <tr> <td>Doctor of Medicine (Paediatrics); or</td> </tr> <tr> <td>Doctor of Medicine (Pathology); or</td> </tr> <tr> <td>Diplomate National Board (Medicine/Pediatrics/Pathology)</td> </tr> </table>	Doctor of Medicine (Medicine); or	with two years' special training in Clinical Hematology.	Doctor of Medicine (Paediatrics); or	Doctor of Medicine (Pathology); or	Diplomate National Board (Medicine/Pediatrics/Pathology)	
Doctor of Medicine (Medicine); or	with two years' special training in Clinical Hematology.							
Doctor of Medicine (Paediatrics); or								
Doctor of Medicine (Pathology); or								
Diplomate National Board (Medicine/Pediatrics/Pathology)								
52.	Clinical Pharmacology	Doctorate of Medicine (Clinical Pharmacology); or Diplomate National Board (Clinical Pharmacology); or  Doctor of Medicine (Pharmacology); or Diplomate National Board (Pharmacology).	with two years' special training in Clinical Pharmacology					
53.	Immunology	Doctorate of Medicine (Immunology); or Diplomate National Board (Immunology); or  Doctor of Medicine (Medicine) or Doctor of Medicine (Pathology); or Doctor of Medicine (Microbiology); or Doctor of Medicine (Pediatrics); or Diplomate National Board (Medicine/Pathology/Microbiology/Pediatrics).	with two years special training in Immunology.					
54.	Medical Genetics	Doctorate of Medicine (Medical Genetics); or Diplomate National Board (Medical Genetics); or						

		<p>Doctor of Medicine (Pediatrics) or Doctor of Medicine (Medicine) or Master of Surgery (Anatomy)</p> <p>Diplomate National Board (Pediatrics/Medicine/Anatomy).</p>	with two years' special training in Medical Genetics.
55.	Medical Oncology	<p>Doctorate of Medicine (Medical Oncology); or Diplomate National Board (Medical Oncology); or</p> <p>Doctor of Medicine (Medicine) or Doctor of Medicine (Radiotherapy) or Doctor of Medicine (Pediatrics) or Diplomate National Board (Medicine/Radiotherapy/Pediatrics).</p>	with two years' special training in Medical Oncology.
56.	Surgical Gastroenterology	<p>Magister Chirurgie (Surgical Gastroenterology); or Diplomate National Board (Surgical Gastroenterology); or Master of Surgery (General Surgery); or Diplomate National Board (General Surgery).</p>	with two years' special training in surgical Gastroenterology.
57.	Surgical Oncology	<p>Magister Chirurgie (Surgical Oncology); or Diplomate National Board (Surgical Oncology); or</p> <p>Master of Surgery (General Surgery); or Master of Surgery (Ear, Nose, Throat); or Master of Surgery (Orthopedics); or Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynecology); or Diplomat National Board (Surgery/ENT/Orthopedics/Obst. &amp; Gynae.)</p>	with two years' special training in Surgical Oncology.
58.	Paediatric Cardiology	<p>Doctorate of Medicine (Paediatric Cardiology); or Diplomate National Board (Paediatric Cardiology); or Doctorate of Medicine (Cardiology); or Diplomate National Board (Cardiology); or</p>	

		Doctor of Medicine (Pediatrics) or Diplomate National Board (Pediatrics).	with two years' special training in Cardiology.	
59.	Pulmonary Medicine	Doctorate of Medicine (Pulmonary Medicine); or Diplomate National Board (Pulmonary Medicine); or  Doctor of Medicine (Respiratory Medicine) or Doctor of Medicine (General Medicine) or Doctor of Medicine (Pediatrics) or Diplomate National Board (Respiratory Medicine/General Medicine/Pediatrics).	with two years' special training in Pulmonary Medicine.	
D. PUBLIC HEALTH				
60.	Social and Preventive Medicine or Community Medicine	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Doctor of Medicine (Community Health Administration); or Doctor of Medicine (Health Administration); or Diplomate National Board (Social and Preventive Medicine/Community Medicine/Community Health Administration/Health Administration).		
61.	Public Health	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Doctor of Medicine (Health Administration.); or Doctor of Medicine (Community Health Administration); or Diplomate National Board (Social and Preventive Medicine/Community Medicine / Health Administration/Community Health Administration); or three years' Master of Public Health.		Diploma in Public Health; or Diploma in Industrial Health; or Diploma in Tropical Medicine. Diploma in Tropical Medicine and Hygiene.
62.	Epidemiology	Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine); or Doctor of Medicine (Community Medicine); or Doctor of Medicine (Health Administration.); or Doctor of Medicine (Community Health Administration); or Diplomate National Board (Social and Preventive Medicine or Community Medicine or Health Administration or Community Health Administration). Desirable: One year training in Epidemiology in a recognized institution.		
	Paediatric Nephrology	Doctor of Medicine (Pediatrics) with Doctorate of Medicine (Nephrology); or Three years' post Doctor of Medicine teaching experience of which Two years' special training in Paediatric Nephrology		

**Note 1:** Any Post Graduate Degree or Diploma awarded by any Indian Universities, included in or excluded from, the schedules to Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), consequent to recognition granted or withdrawn by Government of India as per provisions of the said Act shall be deemed to have been included or excluded accordingly from the Schedule-VI

**Note 2:** - The Post Graduate Medical Qualifications awarded by Indian Universities, must have been included in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) for the purpose of Schedule-VI.

**Note 3.-** The Controlling Authority may, in consultation with the Commission, include any medical qualification in Part A, Part B, Part C or Part D of Schedule-

**Note 4-** DNB qualification is subject to the provisions of the requirement prescribed in Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institution (Amendment) Regulations 2012, amendment Notification No. MCI-12(2)/2010-Med. Misc dated 11.06.2012 or as amended from time to time.

(xxv) In said rules, after the Schedule -VII, the following SCHEDULE-VIII shall be inserted, namely:--

### SCHEDULE- VIII

[see rule 2(a)]

#### List of Administrative Posts of Central Health Service (CHS)

Sr. No.	Administrative Posts
i.	All posts belonging to CHS in the Secretariat of Ministry of Health & Family Welfare.
ii.	All posts belonging to CHS in Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare.
iii.	All posts belonging to CHS in Directorate Central Government Health Scheme, Ministry of Health & Family Welfare.
iv.	Dean
v.	Director
vi.	Principal
vii.	Medical Superintendent
viii.	Additional Medical Superintendent
ix.	Head of Department of Respective Specialty
x.	Senior Regional Director in Regional Office for Health & Family Welfare
xi.	Additional Director, Central Government Health Scheme
xii.	Additional Director in various CHS participating Institutes
xiii.	In Charge, Central Government Health Scheme Polyclinics

[F. No. A.12018/1/2014-CHS.V]

LAV AGARWAL, Jt. Secy.

सं. ए-35014/01/2020-सीएचएस-V

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीएचएस प्रभाग)

\*\*\*\*\*

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक 10 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

- i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय (रेल एवं रक्षा मंत्रालय सहित)
- ii. सभी राज्य सरकारें/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन
- iii. केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी सांविधिक निकाय/ स्वायत्त निकाय/ अर्ध-सरकारी संगठन/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाएं

विषय:- केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में विभिन्न पदों को प्रतिनियुक्ति/ अल्पकालीन संविदा आधार पर भरे जाने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न उप-संवर्गों नामतः जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ), अध्यापन, गैर-अध्यापन और जन स्वास्थ्य में अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार (रेल एवं रक्षा मंत्रालयों सहित) या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सदृश पदधारी अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर और केंद्र सरकार/ राज्य सरकारों के अधीन सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में सदृश पदधारी उपयुक्त अधिकारियों में से अल्पकालीन संविदा द्वारा की जाएंगी।

2. नियमित आधार पर सदृश पदधारी जो अधिकारी अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते हैं तथा मूल संगठन में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं, वे केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पद एवं उप-संवर्ग के नाम का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी, जो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं, भी आवेदन कर सकते हैं। सीएचएस के संबंधित उप-संवर्गों में पद, पदों के वेतन मैट्रिक्स, पदों के लिए अपेक्षित अर्हता एवं अनुभव के विवरण निम्नानुसार संबंधित अनुलग्नक में दिए गए हैं:



क्र. सं.	सीएचएस के उप-संवर्ग	अनुलग्नक
1	जीडीएमओ उप-संवर्ग	अनुलग्नक - I
2.	अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग	अनुलग्नक - II
3.	गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग	अनुलग्नक - III
4.	जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग	अनुलग्नक - IV

पद, पदों के वेतन मैट्रिक्स, अर्हता आदि का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट "<https://www.mohfw.gov.in> पर भी देख सकते हैं।

[नोट: जिन्होंने इस मंत्रालय के समसंख्यक रिक्ति परिपत्र दिनांक 22 जून, 2020 के संदर्भ में पहले आवेदन उचित माध्यम द्वारा प्रेषित कर दिया है, उनका आवेदन इस रिक्ति परिपत्र हेतु शामिल किया जाएगा। अतएव उन्हें दुबारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।]

3. प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति केवल रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही की जाएंगी। चयनित अधिकारी अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व के अधीन होंगे और उन्हें उस स्थान पर तैनात किया जाएगा जहां उनके चयन के समय रिक्तियां विद्यमान होंगी।
4. सीएचएस में प्रतिनियुक्ति हेतु चुने गए अधिकारी या तो प्रतिनियुक्ति वाले पद के वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में वेतन लेने अथवा अपने मूल संवर्ग का वेतन तथा उस पर प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता और निजी वेतन, यदि कोई हो, लेने का चयन कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि समय-समय पर यथा संशोधित सीएचएस नियमावली, 2014 द्वारा शासित होगी। तथापि, यदि नियमित भर्ती की जाती है या किसी कारणवश नीति परिवर्तित की जाती है तो प्रतिनियुक्ति की अवधि एकपक्षीय रूप से समाप्त की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित मानक प्रतिनियुक्ति शर्तों द्वारा शासित की जाएंगी।
5. निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-V) में भरे हुए आवेदन पत्र रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के अंदर अवर सचिव (सीएचएस-V), कमरा नं. 752, ए-विंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को अग्रेषित किए जा सकते हैं। सभी आवेदन पत्र इस मंत्रालय में उचित माध्यम द्वारा पहुंचने चाहिए। आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. इस मंत्रालय को आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख भी भेजें:-
  - i. इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित अधिकारी की सीएचएस में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र या मूल विभाग/ संगठन को "कोई आपत्ति नहीं" है।
  - ii. आवेदक की पिछले पांच वर्षों की एसीआर/ एपीएआर की सत्यापित प्रतियां।

- iv. आवेदक के संबंध में सतर्कता निकासी, जो किसी उपयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो।
- v. अधिकारी की पिछले 10 वर्षों/ संपूर्ण सेवा अवधि, जो भी कम हो, के दौरान उस पर लगाई गई बड़ी/ छोटी पैनाल्टी, यदि कोई हो, का प्रमाणपत्र।

अधूरे आवेदन पत्र या उक्त उल्लिखित प्रलेखों के बिना प्राप्त आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

7. ऐसे पात्र अधिकारी, जिनकी पत्नी/ पति केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत हैं और ऐसे स्थान पर स्थानांतरित किए गए हैं या कार्य कर रहे हैं जहां सीएचएस पद विद्यमान हैं, प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीया,  
*सरिता नायर*  
(सरिता नायर)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 23063068

प्रतिलिपि:

1. वरिष्ठ निदेशक (टेक.), एनआईसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (अनुरोध है कि रिक्ति परिपत्र को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर सीएचएस के अंतर्गत अपलोड करें)
2. संलग्न मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय।

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ)

पदों का नाम और वेतन मैट्रिक्स

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| i. मेडिकल ऑफिसर (एमओ)           | वेतन मैट्रिक्स 56100-177500/- रुपए का लेवल 10  |
| ii. सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ) | वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए का लेवल 11  |
| iii. चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ)   | वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12  |
| iv. चीफ मेडिकल ऑफिसर (एनएफएसजी) | वेतन मैट्रिक्स 123100-215900/- रुपए का लेवल 13 |

अर्हता एवं अनुभव

जीडीएमओ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 की अनुसूची-V के अनुसार है (परिशिष्ट-क)

पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	पद का नाम	स्पेशलिटी एवं स्टेशन	पदों की संख्या
1.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, दिल्ली	09
2.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, शिलांग	01
3.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, इलाहाबाद	02
4.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, देहरादून	01
5.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, गुवाहाटी	02
6.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, जबलपुर	02
7.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, कोलकाता	01
8.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, कानपुर	02
9.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, लखनऊ	02
10.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, मुंबई	02

11.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, रायपुर	01
12.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, गौरीपुर	02
13.	मेडिकल ऑफिसर	सीजीएचएस, श्रीनगर	02
14.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	आरएलटीआरआई, रायपुर	01
15.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीटीआई, चेन्नई	01
<b>कुल</b>			<b>31</b>

\*\*\*\*\*

**शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग:-**

पद का नाम और वेतनमान:

- |      |                    |   |   |
|------|--------------------|---|---|
| i.   | असिस्टेंट प्रोफेसर | - | वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए का लेवल 11 |
| ii.  | एसोसिएट प्रोफेसर   | - | वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12 |
| iii. | प्रोफेसर           | - | वेतन मैट्रिक्स 123100-215900- रुपए का लेवल 13 |

**अर्हता एवं अनुभव**

जीडीएमओ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)।

**पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है**

क्र.सं.	पद का नाम	स्पेशलिटी और स्टेशन	पदों की संख्या
i.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	मनोचिकित्सा, सीआईपी, रांची	01
ii.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	एनेस्थीसिया विज्ञान, सीआईपी, रांची	01
iii.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	स्नायु रोग विज्ञान, सीआईपी, रांची	01
iv.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	रेडियो-डायग्नोसिस, सीआईपी, रांची	01
v.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	पैथोलॉजी, सीआईपी, रांची	01
vi.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	न्यूरो सर्जरी, सीआईपी, रांची	01
vii.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	पीएमआर, एआईआईपीएम एंड आर, मुंबई	01
viii.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	एनेस्थीसिया विज्ञान, दिल्ली	02
ix.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	नैदानिक रुधिर विज्ञान, दिल्ली	01
x.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	तंत्रिका विज्ञान	01
		कुल	11

.....

गैर शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग

पद का नाम:

- |      |                        |   |   |
|------|------------------------|---|---|
| i.   | स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III | - | वेतन मैट्रिक्स 67700-208700 - रुपए का लेवल 11 |
| ii.  | स्पेश्यलिस्ट ग्रेड II  | - | वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12 |
| iii. | स्पेश्यलिस्ट ग्रेड I   | - | वेतन मैट्रिक्स 123100-215900- रुपए का लेवल 13 |

अर्हता एवं अनुभव:

जीडीएमओ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)।

पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	पद का नाम	स्पेश्यलिटी एवं तैनाती का स्थान	पदों की संख्या
i.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	पेडियाट्रिक्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01
ii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	ऑफथल्मोलॉजी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01
iii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	ईएनटी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01
iv.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	एनेस्थीसिया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	02
v.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	मेडिसिन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	02
vi.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	पैथोलॉजी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01
vii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	रेडियोडायग्नोसिस, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01
viii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	पेडियाट्रिक्स, लक्षद्वीप द्वीपसमूह	01
ix.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	एनेस्थीसिया, लक्षद्वीप द्वीपसमूह	01
x.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	पैथोलॉजी, लक्षद्वीप द्वीपसमूह	01
xi.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	नेत्र-विज्ञान, लक्षद्वीप द्वीपसमूह	01
xii.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	सूक्ष्मजीव विज्ञान, सीआरआई, कसौली	02

xiii.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान, सीजीएचएस, हैदराबाद	01
xiv.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	मेडिसीन, सीजीएचएस, दिल्ली	02
xv.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	नाक-कान-गला, सीजीएचएस, दिल्ली	01
xvi.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	पैथोलॉजी, सीजीएचएस, दिल्ली	01
<b>कुल</b>			<b>20</b>

....

जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग

पद का नाम:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| i. स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III | - वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपएका लेवल 11   |
| ii. स्पेश्यलिस्ट ग्रेड II | - वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12  |
| iii. स्पेश्यलिस्ट ग्रेड I | - वेतन मैट्रिक्स 123100-215900/- रुपए का लेवल 13 |

अर्हता एवं अनुभव:

जीडीएमओ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)।

पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	पद का नाम	स्पेश्यलिटी एवं स्टेशन	पदों की संख्या
1.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/II/I	जन स्वास्थ्य, एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता	01
2.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/II/I	जन स्वास्थ्य, लक्षद्वीप	01
3.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/II/I	जन स्वास्थ्य, वाराणसी	01
4.	स्पेश्यलिस्ट ग्रेड III/II/I	पीएचओ, कोलकाता	01
<b>कुल</b>			<b>04</b>

....



प्रपत्र

1. पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया है :
2. सीएचएस इकाई का नाम, जिसके लिए आवेदन किया है। :
3. नाम और वर्तमान पदनाम :
4. प्रथम नियुक्ति की तिथि वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल सहित :
5. वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान वेतन लेवल :
6. पूरा पता बड़े अक्षरों में :
7. मोबाइल नंबर.
8. ई-मेल आईडी :
9. जन्मतिथि (ईसवी संवत् में) :
10. केंद्रीय/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि :
11. शैक्षणिक अर्हता :
12. क्या आप पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हता रखते हैं (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उसके लिए प्राधिकारी का उल्लेख करें)

:

अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव

अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव

अनिवार्य (1)

(2)

(3)

वांछनीय (1)

(2)

13. कृपया स्पष्ट करें क्या आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियां पद की अपेक्षा को पूरा करती हैं

:

14. रोजगार का क्रमवार विवरण। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो, तो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित और नियोक्ता द्वारा सत्यापित एक अलग शीट संलग्न करें, :

कार्यालय/संस्थान/संगठन धारित पद से तक वेतनमान और मूल वेतन कार्यो का स्वरूप

1.

2.

3.

15. वर्तमान रोजगार की प्रकृति, अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा स्थाई :
16. क्या परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी हो गई थी :
17. यदि वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर अधारित हो, तो कृपया उल्लेख करें-
- क) प्रथम नियुक्ति की तारीख :
- ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि :
- ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम, जिससे आप संबंधित हैं :
18. वर्तमान रोजगार का अतिरिक्त विवरण :
- कृपया उल्लेख करें क्या आप निम्न के तहत कार्य करते हैं
- क) केंद्र सरकार
- ख) राज्य सरकार
- ग) स्वायत्त संगठन
- घ) सरकारी उपक्रम
- ड) विश्वविद्यालय
19. कृपया उल्लेख करें क्या आप किसी राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं:
20. कृपया उल्लेख करें क्या पहले अप्राधिकृत अनुपस्थित, असाधारण छुट्टी अथवा अदेय छुट्टी ली है:
21. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो वेतनमान संशोधित होने की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान भी दर्शाए:
22. वर्तमान में प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां (वेतन बैंड, बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन अलग-अलग दर्शाए):
23. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहते हैं। स्थान अपर्याप्त होने पर प्रथक शीट संलग्न करें तथा उसे अपने नियोक्ता से सत्यापित कराएं :
24. क्या अजा/अजजा/अन्य पिछडा वर्ग से संबंध रखते हैं :
25. अभ्युक्तियां (यदि कोई हो) :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पता .....

.....

.....

दूरभाष नंबर.....

दिनांक

नियोक्ता के प्रतिहस्ताक्षर

**अनुसूची V**  
**(नियम 6(8) देखें)**

क्रम सं.	पद का नाम	सीधी भीर्ती के लिए आयु	चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हता सेवा
1	1. अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग पद  (1) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटीज) {स्तर-11 (67700-208700 रु.)}	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<b>अनिवार्य:</b> (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (अनुज्ञप्ति अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता के धारकों द्वारा भी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।  (ii) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अनुसूची VI की धारा-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री।  (iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमोंस्ट्रेटर अथवा रजिस्ट्रार अथवा सहायक आचार्य अथवा लेक्चरर के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।  <b>टिप्पण 1:</b> शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुर्गाई (एस.सीएच) की अर्हता का शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में शामिल किया जाएगा।  <b>टिप्पण 2:</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुर्गाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुर्गाई (एस.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा।  <b>टिप्पण 3:</b> सहायक प्रोफेसर (इम्यूनो-हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान), डीएम (इम्यूनोलॉजी) अथवा

			<p>एम.डी. (इम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान) अथवा एम.डी. (पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी) के पद के लिए भर्ती के संबंध में किसी स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर अर्हता के बाद एक लेक्चरर अथवा ट्यूटर अथवा सिनियर रेजिडेंट अथवा डिमॉस्ट्रेटर के तौर पर इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) में दो वर्ष के अनुभव अथवा विशेष प्रशिक्षण के साथ इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) अथवा पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित पात्रता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।</p>
	<p>(2) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक आचार्य (सुपर स्पेशिएलिटी को छोड़कर) {स्तर-11 (रु. 67700-208700)}</p>	<p>40 वर्ष से अनधिक, सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (अनुज्ञति धारा अर्हताएं को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-IV के खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमॉस्ट्रेटर अथवा रजिस्ट्रार अथवा सहायक आचार्य अथवा प्राध्यापक के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा</p>

		<p>उक्त डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> सहायक आचार्य (इम्यूनो-हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान), डीएम (इम्यूनोलॉजी) अथवा एम.डी. (इम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं रक्ताधान) अथवा एम.डी (पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी) के पद के लिए भर्ती के संबंध में किसी स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर अर्हता के बाद एक प्राध्यापक अथवा ट्यूटर अथवा सिनियर रेजिडेंट अथवा डिमॉस्टर के तौर पर इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) में दो वर्ष के अनुभव अथवा विशेष प्रशिक्षण के साथ इम्यूनो हेमेटोलॉजी और रक्ताधान (रक्त बैंक) अथवा पैथोलॉजी/बैक्टीरियोलॉजी/हेमेटोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली में खेल-कूद क्षति केन्द्र में ओर्थोपैडिक्स में सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के लिए खेल-कूद क्षति अथवा खेल-कूद मेडिसिन के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव एक वांछित अर्हता होगी।</p> <p><b>टिप्पण 5:</b> क्षयरोग एवं श्वसन मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन की विशेषज्ञता में नियुक्ति के लिए डाक्ट्रेट आफ मेडिसी (पल्मोनरी मेडिसिन) वांछनीय अर्हता होगी।</p> <p><b>टिप्पण 6:</b> जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित अर्हता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।</p>
	(3) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक आचार्य (गैर चिकित्सा सहित गैर नैदानिक)	<p>40 वर्ष से अनधिक, सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) जैसा कि अनुसूची-VI में भाग-क, खंड-क में दर्शाया गया है।</p> <p>(ii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा ट्यूटर अथवा डिमॉस्टर अथवा रजिस्ट्रार अथवा सहायक आचार्य अथवा प्राध्यापक के तौर पर कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) की तीन वर्ष की आचार्य को संबंधित व्यापक स्पेशिएलिटी में अनुभव</p>

			के तौर पर सम्मिलित किया जाएगा। <b>टिप्पण 2 :</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर पांच वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा तथा उक्त डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) के अंतिम दो वर्ष को इस शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा। <b>टिप्पण 3:</b> जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे अन्य किसी पद में शिक्षण अनुभव को शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित अर्हता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
	II गैर-शिक्षण उप-संवर्ग पद		
I	(I) विशेषज्ञ ग्रेड III (सुपर स्पेशिएलिटी) {स्तर-11 (रु. 67700-208700 रु.)}	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<b>आवश्यक:</b> (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (अनुज्ञाधिकारी अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री। (iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। <b>टिप्पण 1:</b> अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा। <b>टिप्पण 2:</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एस.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर तीन वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा।
	(2) विशेषज्ञ ग्रेड III (सुपर स्पेशिएलिटी से भिन्न)	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के	<b>आवश्यक:</b> (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय

	<p>{स्तर -11 (रु. 67700-208700 रु.)}</p>	<p>अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p>	<p>अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (लाइसेंस प्राप्त अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> शिक्षण अनुभव की अपेक्षाओं में तीन वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएन) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) की अर्हता का आकलन किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पांच वर्ष की अवधि वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर तीन वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> फिजिशियन (चेस्ट एंड रेस्पिरेट्री डिजिज) के पद के लिए रेस्पिरेट्री डिजिज और रेस्पिरेट्री लेबोरेट्री में तीन वर्ष का अनुभव अपेक्षित है।</p>
	<p>(3) स्पेशिएलिटी ग्रेड III (गैर चिकित्सा सहित गैर क्लिनिकल)</p> <p>{स्तर -11 (रु. 67700-208700)}</p>	<p>40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) अनुसूची VI में भाग-क, खंड क के उल्लेखानुसार</p> <p>(ii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> पांच डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री के पूरा होने पर तीन वर्ष की अर्हता के तौर पर लिया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> पांच वर्षों की अवधि की डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) या मेजिस्टर चिरुरगाई (एम.सीएच) को स्नातकोत्तर डिग्री को पूरा करने</p>

			के लिए तीन वर्षमाना जाएगा और उक्त डॉक्टरों ऑफ मेडिसिन (डीएम) या मजिस्टर चिरूरगुई (एम.सीएच) के अंतिमदो वर्षों की गणना अनुभवकी आवश्यकता के तौर पर की जाएगी।
III. लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग पद विशेषज्ञ ग्रेड-III {स्तर-11 (रु. 67700-208700)}	40 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।		<b>आवश्यक:</b> (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (लाइसेंस प्राप्त अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारत को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अनुसूची-VI की खंड-क में उल्लिखित संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में स्नातकोत्तर डिग्री। (iii) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी में कम से कम तीन वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष का अनुभव हो।
IV साधारण ड्यूटी उप-संवर्ग पद चिकित्सा अधिकारी {स्तर-10 (56100-177500 रु.)}	35 वर्ष से अनधिक सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।		<b>आवश्यक:</b> (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची (अनुज्ञप्ति प्राप्त अर्हता को छोड़कर) के भाग-II में सम्मिलित कोई मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) अनिवार्य चक्रानुक्रमी इंटरनशिप का पूरा किया जाना हो तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चक्रानुक्रमी इंटरनशिप पूरी नहीं की हो लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे परंतु चयन किए जाने पर उन्हें नियुक्ति के पूर्व अनिवार्य इंटरनशिप समाधानप्रद रूप से पूरी करनी होगी।

**टिप्पण :** मान्यताप्राप्त अध्यापन संस्थान जो एमबीबीएस/या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुज्ञात/मान्यताप्राप्त से अभिप्रेत है।

**टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,



त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

**टिप्पण 2:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

**टिप्पण 3:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्राप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

**टिप्पण 4:** लिखित परीक्षा के आधार पर चिकित्सा अधिकारी का पद भर्ती के मामले में साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा, आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तारीख वर्ष में 1 जनवरी को की जाएगी जिसकी परीक्षा आयोजित की गई है।

(xxiv) अनुसूची-VI तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**अनुसूची 6**  
**[देखें नियम 6(9) और 6(10)]**

क्रम सं.	विषय	भाग क	भाग ख
		अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री अर्हताएं	अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा अर्हता
	<b>भाग (क) गैर चिकित्सा सहित गैर नैदानिक</b>		
1.	शरीर रचना विज्ञान	मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर रचना विज्ञान), या विज्ञान (शरीर रचना विज्ञान) स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (शरीर रचना विज्ञान) के साथ एमएससी (शरीर रचना विज्ञान), या डॉक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) के साथ विज्ञान (चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान) में मास्टर डिग्री	
2.	शरीर क्रिया विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर क्रिया विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर क्रिया विज्ञान)*, या एमएससी (शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ एमबीबीएस; या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ; या डॉक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान)।	
3.	जैव रसायन विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जैव रसायन विज्ञान)*, या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जैव रसायन) के साथ मेडिसन में बैचलर डिग्री और शल्य चिकित्सा में बैचलर डिग्री; या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान) के साथ एमएससी (चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान); या डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा जैव रसायन) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जैव रसायन)।	

4.	जैव भौतिकी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव भौतिकी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जैव भौतिकी)*, या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (जैव-भौतिकी) के साथ एमएम्सी (जैव भौतिकी या चिकित्सा जैव रसायन); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या जैव भौतिकी में एक वर्ष के प्रशिक्षण के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन)।	
5.	भेषज गुण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (भेषज गुण विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (भेषज गुण विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ चिकित्सा बैचलर या शल्य क्रिया बैचलर; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान) के साथ; या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान), या डाक्टर ऑफ साइंस (भेषज गुण विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान)।	
6.	विकृति विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकृति विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (विकृति विज्ञान); या डाक्टर ऑफ साइंस (विकृति विज्ञान)	नैदानिक विकृति विज्ञान में डिप्लोमा, या विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
7.	सूक्ष्म जीव विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जीवाणु विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जीवाणु विज्ञान)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान)*, या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ चिकित्सा में बैचलर और शल्य क्रिया में बैचलर डिग्री; या डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान), या डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान), डाक्टर ऑफ फिलोसोफी (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान); या विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ; या डाक्टर ऑफ साइंस (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान)	जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा, या विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
8	रेडियोलॉजिकल भौतिक विज्ञान	डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/ जैव-भौतिक विज्ञान) के साथ विज्ञान निष्णात (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जैव-भौतिक विज्ञान), या डिप्लोमा राष्ट्रीय बोर्ड (रेडियोलॉजिकल भौतिक विज्ञान)*	
	भाग (क 1) गैर-नैदानिक		
9	फॉरेंसिक चिकित्सा	डॉक्टर ऑफ मेडिसन (फॉरेंसिक चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (फॉरेंसिक चिकित्सा)*	फॉरेंसिक चिकित्सा में डिप्लोमा
	ख. नैदानिक		
10.	साधारण चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामान्य चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/सामान्य चिकित्सा)*,	

11.	बाल चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल चिकित्सा विज्ञान)*	बाल चिकित्सा में डिप्लोमा, या बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा
12.	क्षय रोग और श्वसन चिकित्सा/ फुफ्फुसीय चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और श्वसन रोग); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (क्षय रोग)/(क्षय रोग और श्वसन रोग)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) क्षय रोग में डिप्लोमा; या क्षय रोग और वक्ष रोगों में डिप्लोमा के साथ, या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्षय रोग और वक्ष रोग), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (क्षय रोग और वक्ष रोग)*	क्षय रोग में डिप्लोमा, या क्षय रोग और वक्ष रोग में डिप्लोमा
13.	मनोरोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोचिकित्सक चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मनोरोग विज्ञान/मनोविज्ञान चिकित्सा)*, या मनोविज्ञान चिकित्सा में डिप्लोमा के साथ डॉक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*	मनोचिकित्सीय चिकित्सा में डिप्लोमा या मनोरोग विज्ञान में डिप्लोमा
14.	त्वचा विज्ञान, रति रोग विज्ञान और कुष्ठ रोग	डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान और रति रोग); या चिकित्सा में डाक्टर ऑफ मेडिसन के साथ त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान और रति रोग); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान, रति रोग और कुष्ठ रोग); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान रति रोग विज्ञान सहित); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (त्वचा विज्ञान रति रोग विज्ञान या कुष्ठ रोग विज्ञान सहित); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (त्वचा विज्ञान और रति रोग विज्ञान/त्वचा विज्ञान, रति रोग विज्ञान और कुष्ठ/ रति रोग विज्ञान सहित/ त्वचा विज्ञान/रति रोग विज्ञान या कुष्ठ रोग सहित) या रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा या त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*	त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा रति रोग और त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा या त्वचा विज्ञान और रति रोग विज्ञान में डिप्लोमा
15.	साधारण चिकित्सा शल्य	मास्टर ऑफ सर्जरी (शल्य चिकित्सा), या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य शल्य चिकित्सा), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा/साधारण शल्य चिकित्सा)*	
16.	आर्थोपेडिक्स	मास्टर ऑफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (आर्थोपेडिक्स)*	आर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा
17.	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान); या शल्य चिकित्सा निष्णात (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)*	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में डिप्लोमा
18.	भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास	डाक्टर ऑफ मेडिसन (भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास)*; या	भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास में

		डॉक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा), या भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास में डिप्लोमा के साथ शल्य चिकित्सा निष्णात (सामान्य शल्य चिकित्सा)/शल्य चिकित्सा निष्णात (आर्थोपेडिक्स) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामान्य शल्य चिकित्सा/आर्थोपेडिक्स)* भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास (पुनर्वास चिकित्सा) की विशेषज्ञता में दो वर्ष के प्रशिक्षण के साथ या भारत में किसी भी अनुमोदित संस्थान में अनुमोदित विषय में दो वर्ष का समतुल्य प्रशिक्षण	डिप्लोमा
19.	नेत्र विज्ञान	शल्य चिकित्सा निष्णात (नेत्र विज्ञान); या एमडी (नेत्र विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नेत्र विज्ञान)*	नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा, या नेत्र विज्ञान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा
20.	आटो-राइनो-लराइगोलोजी (कान, नाक और गला)	शल्य चिकित्सा निष्णात (आटो-राइनो-लराइन्जोलोजी), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (आटो-राइनोलराइगोलोजी)*	आटो-राइनो-लराइगोलोजी में डिप्लोमा
21.	विकिरण निदान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण विज्ञान); या शल्य चिकित्सा निष्णात (विकिरण विज्ञान)	आयुर्विज्ञान और विकिरण निदान में डिप्लोमा या एक वर्ष का समतुल्य डिप्लोमा
22.	विकिरण चिकित्सा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण विज्ञान); या शल्य चिकित्सा निष्णात ((विकिरण विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकिरण निदान/विकिरण विज्ञान)*	चिकित्सा विकिरण निदान (डीएमआरडी) में डिप्लोमा या समतुल्य डिप्लोमा
23.	संवेदनाहरण विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (संवेदनाहरण); या शल्य चिकित्सा निष्णात (संवेदनाहरण विज्ञान), या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (संवेदनाहरण विज्ञान)*	संवेदनाहरण विज्ञान में डिप्लोमा
24.	न्युक्लियर चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (न्युक्लियर चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (न्युक्लियर चिकित्सा)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकिरण चिकित्सा)*, या विकिरण चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से दो वर्ष के अनुभव के साथ डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)*, या विकिरण चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से दो वर्ष के अनुभव के साथ	

		डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण निदान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकिरण-निदान)*, या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव-भौतिकी विज्ञान) या इसके न्युक्लियर चिकित्सा में मान्यता प्राप्त केन्द्र से दो वर्ष के अनुभव के साथ	
25.	पोषण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जैव रसायन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जैव रसायन/ शरीर रचना विज्ञान/ विकृति विज्ञान/ चिकित्सा/ सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान)* सहित	व्यावहारिक पोषण में विज्ञान निष्णात या एक वर्ष की अवधि का विशेष प्रशिक्षण
26.	मानव उपापचय	डाक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रिनोलोजी) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (इंडोक्रिनोलोजी) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान);* सहित	इंडोक्रिनोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
27.	प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्रतिरक्षा/ प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण) * या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान)/ डाक्टर ऑफ मेडिसन (जीवाणु विज्ञान)/ डाक्टर ऑफ मेडिसन (रुधिर विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विकृति विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान/ रुधिर विज्ञान)* सहित	दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव या प्रतिरक्षी रुधिर विज्ञान और रक्त अंतरण विभाग में विशेष प्रशिक्षण
28.	कुटुंब चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (कुटुंब चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (परिवार औपधि/ मामान्य औपधि) *	
29.	विमानन चिकित्सा या विमानपत्तन चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विमानन चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विमानपत्तन आयुर्विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (विमानन आयुर्विज्ञान या विमानपत्तन आयुर्विज्ञान) *	
30.	वृद्धावस्था विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (कुटुंब चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (वृद्धावस्था विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (परिवार औपधि / वृद्धावस्था विज्ञान) *	

31.	स्वास्थ्य प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (स्वास्थ्य प्रशासन/अस्पताल प्रशासन/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) *
32.	अस्पताल प्रशासन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (अस्पताल प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (स्वास्थ्य प्रशासन/अस्पताल प्रशासन/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) *
33.	क्रीडा चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (क्रीडा चिकित्सा) ; या शल्य चिकित्सा निष्णात (अस्थि भंग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (क्रीडा चिकित्सा/अस्थि रोग/पीएमआर)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान) के साथ क्रीडा चिकित्सा में दो वर्ष का अनुभव; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शारीरिक रचना विज्ञान)* के साथ क्रीडा चिकित्सा में दो वर्ष का अनुभव।
34.	ऊष्णकटिबंधीय चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (ऊष्णकटिबंधीय चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (साधारण चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (ऊष्णकटिबंधीय चिकित्सा/सामान्य चिकित्सा)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान)* के साथ दो वर्ष का नैदानिक चिकित्सा में अनुभव
35.	संधिवातीय शास्त्र	डाक्टर ऑफ मेडिसन (संधिवातीयशास्त्र); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (संधिवातीयशास्त्र)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)* के साथ संधिवातीय शास्त्र या प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव
36.	स्वास्थ्य शिक्षा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन); या डॉक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक एवं निवारक चिकित्सा/सामुदायिक चिकित्सा/स्वास्थ्य प्रशासन/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)*
37.	सामुद्रिक चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीर रचना विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शरीर रचना विज्ञान) *या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)* के साथ सामुद्रिक चिकित्सा में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;
38.	वृत्तिक स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (मनोरोग चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास); या शल्य चिकित्सा निष्णात (अस्थि रोग) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मनोरोग चिकित्सा/शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास/अस्थि रोग)*

39.	विषाणु विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सूक्ष्म जीव विज्ञान/विकृति विज्ञान)* या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा)* या विज्ञान निष्णात (विषाणु चिकित्सा) के साथ विषाणु विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
<b>अतिविशेषज्ञताएं</b>		
40.	जठार तंत्र चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठार तंत्र विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (जठार तंत्र विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (जठार तंत्र चिकित्सा/जठार तंत्र विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) (चिकित्सा/बाल रोग विज्ञान) के साथ जठार रोग विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
41.	तंत्रिका विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (तंत्रिका विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (तंत्रिका विज्ञान)
42.	इंडोक्रिनोलाजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (इंडोक्रिनोलाजी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (इंडोक्रिनोलाजी) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/बाल रोग विज्ञान) के साथ इंडोक्रिनोलाजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;
43.	हृदय रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय रोग विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (हृदय रोग विज्ञान)*
44.	वृक्क रचना विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (वृक्क रचना विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (वृक्क रचना विज्ञान)*
45.	प्लास्टिक और संरचनात्मक शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (प्लास्टिक और संरचनात्मक शल्य चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (प्लास्टिक शल्य चिकित्सा/प्लास्टिक एवं संरचनात्मक शल्यचिकित्सा)*
46.	हृदय वाहिकीय और वक्षीय शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय संबंधी और वक्षीय शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (वक्षीय शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (हृदय शल्य चिकित्सा); या मेजिस्टर चिरुरगुई (वाहिकीय शल्य चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (हृदय संबंधी और वक्षीय शल्य चिकित्सा/ वक्षीय शल्य चिकित्सा/ हृदय शल्य चिकित्सा/ वाहिकीय शल्य चिकित्सा)*

47.	तंत्रिका शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (तंत्रिका शल्य चिकित्सा); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)						
48.	बाल रोग शल्य चिकित्सा	मेजिस्टर चिरुरगुई (बाल रोग शल्य चिकित्सा) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग शल्य चिकित्सा)						
49.	मूत्र विज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (मूत्र विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (मूत्र विज्ञान)						
50.	नवजात विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नवजात विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नवजात विज्ञान) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;						
51.	नैदानिक रुधिर विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नैदानिक रुधिर विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (नैदानिक रुधिर विज्ञान) या <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या</td> <td rowspan="4">के साथ नैदानिक रुधिर विज्ञान में दो वर्ष का विशिष्ट प्रशिक्षण</td> </tr> <tr> <td>डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या</td> </tr> <tr> <td>डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) या</td> </tr> <tr> <td>डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान/ विकृति विज्ञान)*</td> </tr> </table> डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) के साथ नवजात विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या	के साथ नैदानिक रुधिर विज्ञान में दो वर्ष का विशिष्ट प्रशिक्षण	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या	डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) या	डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान/ विकृति विज्ञान)*	
डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) या	के साथ नैदानिक रुधिर विज्ञान में दो वर्ष का विशिष्ट प्रशिक्षण							
डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या								
डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान) या								
डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान/ विकृति विज्ञान)*								
52.	नैदानिक फार्मोकोलॉजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (नैदानिक फार्मोकोलॉजी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (फार्मोकोलॉजी)* नैदानिक फार्मोकोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण;						
53.	रोग प्रतिरक्षा विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (रोग प्रतिरक्षा विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (रोग प्रतिरक्षा विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकृति विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सूक्ष्म जीव विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/विकृति विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/बाल रोग विज्ञान)* रोग प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण सहित;						
54.	चिकित्सा आनुवांशिकी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा आनुवांशिकी); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा आनुवांशिकी)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान); या						



		डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा); या शल्य चिकित्सा (एनोटमी)* या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग विज्ञान/चिकित्सा/एनोटमी)* चिकित्सा आनुवांशिकी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण सहित;	
55.	चिकित्सा अर्बुदविज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा अर्बुदविज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा अर्बुदविज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (विकिरण चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (चिकित्सा/विकिरण विज्ञान/बाल रोग विज्ञान)* चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
56.	शल्य चिकित्सीय जठार तंत्र	मेजिस्टर चिरुरगुई (शल्य चिकित्सीय जठार तंत्र); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा/जठार तंत्र विज्ञान)* या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामान्य सर्जरी)* शल्य चिकित्सा जठार तंत्र विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
57.	शल्य चिकित्सीय अर्बुदविज्ञान	मेजिस्टर चिरुरगुई (शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान विज्ञान)* या मास्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) या मास्टर ऑफ सर्जरी (कान, नाक, गला); या मास्टर ऑफ सर्जरी (अस्थि रोग विज्ञान); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सर्जरी/ईएनटी/ अस्थि रोग विज्ञान/ प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान)* शल्य चिकित्सा अर्बुदविज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
58.	बाल रोग हृदय रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग हृदय रोग विज्ञान) ; या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग हृदय रोग विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (हृदय रोग विज्ञान); या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (हृदय रोग विज्ञान)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (बाल रोग विज्ञान)* हृदय रोग विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित;	
59.	पल्मोनरी मेडिसन	डाक्टर ऑफ मेडिसन (पल्मोनरी मेडिसन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (पल्मोनरी मेडिसन)* या डाक्टर ऑफ मेडिसन (रेस्पिरिट्री मेडिसन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामान्य चिकित्सा) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (रेस्पिरिट्री मेडिसन/ सामान्य चिकित्सा/ बाल रोग विज्ञान)*। पल्मोनरी मेडिसन में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित।	
<b>घ. लोक स्वास्थ्य</b>			
60.	सामाजिक और निवारक चिकित्सा या सामुदायिक चिकित्सा	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और	

		निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन/ स्वास्थ्य प्रशासन)*	
61	जन-स्वास्थ्य	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ स्वास्थ्य प्रशासन/ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या तीन वर्षीय मास्टर-जन स्वास्थ्य	जन-स्वास्थ्य में डिप्लोमा या औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या ट्रोपिकल मेडिसन में डिप्लोमा। ट्रिपीकल्स मेडिसन और स्वच्छता में डिप्लोमा
62.	जानपादिक रोग विज्ञान	डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) ; या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक चिकित्सा); या डाक्टर ऑफ मेडिसन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डाक्टर ऑफ मेडिसन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या डिप्लोमेट राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक और निवारक चिकित्सा/ सामुदायिक चिकित्सा/ स्वास्थ्य प्रशासन/ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)* । <b>बांझनीय :</b> किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में जानपादिक रोग विज्ञान में एक वर्ष का प्रशिक्षण।	
	बाल रोग नेफ्रोलॉजी	डाक्टर ऑफ मेडिसन (बाल रोग विज्ञान) तथा डाक्टरेट ऑफ मेडिसन (नेफ्रोलॉजी) या डाक्टर ऑफ मेडिसन के पश्चात तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव जिसमें से दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण बाल रोग नेफ्रोलॉजी में हो।	

**टिप्पण 1 :** किन्हीं भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी गई कोई स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियमों, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई मान्यता या वापस ली गई मान्यता के परिणामस्वरूप शामिल किया गया है या हटाया गया है को अनुसूची 6 से तदनुसार शामिल किया गया या अपवर्जित किया गया समझा जाएगा ।

**टिप्पण 2 :** किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी गई किसी स्नातकोत्तर अर्हता को अनुसूची 6 के प्रयोजनों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में अवश्य शामिल किया गया हो।

**टिप्पण 3 :** नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से किसी आयुर्विज्ञान अर्हता को अनुसूची 6 के भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ में सम्मिलित कर सकेगा ।

**टिप्पण 4 :** डीएनबी अर्हता चिकित्सा संस्था में अध्यापकों की न्यूनतम अर्हता (संशोधन) विनियमावली, 2012, संशोधन अधिसूचना सं. एमसीआई-12(2)/2010-मेड.मि. तारीख 11.6.2012 या समय-समय पर यथासंधोधित में निर्धारित अपेक्षाओं के उपाबंधों के अधीन होंगे।

(xxv) निम्नलिखित प्रविष्टियों को अनुसूची- VIII के रूप में शामिल किया जाएगा: